

राजस्थान सरकार  
पर्यटन विभाग, जयपुर

क्रमांक: प. 1 ( ) प.वि./2023/

जयपुर, दिनांक:09.03.2023

**आदेश**

RIICO क्षेत्र में होटल/वाणिज्यिक हेतु आवंटित भूखण्डों में स्थित होटल तथा वाणिज्यिक/होटल हेतु विधिवत सम्परिवर्तित/अनुमत भूखण्डों को राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2015 के लाभ देय होंगे। इन इकाइयों को राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 के निम्न लाभ देय नहीं होंगे।

1. RIICO क्षेत्रों में बिना अनुमति के निर्मित होटल/मोटल का नियमितीकरण
2. सम्परिवर्तन शुल्क में छूट
3. अतिरिक्त बी.ए.आर./एफ.ए.आर. संबंधी लाभ

यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक: 02 फरवरी, 2022 के अनुसरण में जारी किए जाते हैं।

(विष्णु कुमार गोयल)  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प. 1 ( ) प.वि./2023/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय पर्यटन मंत्री, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय पर्यटन राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, जयपुर
8. निजी सहायक, प्रबंधक निदेशक, रीको
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, पर्यटन विभाग

संयुक्त शासन सचिव

**Signature valid**

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal  
Designation : Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.03.09 12:43:38 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3329566

